

---

## कार्यकारी सारांश

---



---

## कार्यकारी सारांश

---

### प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 के लिए राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन एवं खातों की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएँ और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का अवलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की विषय वस्तुओं पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के आशुचित्र के माध्यम से, राजकोषीय स्थिरता, बजट उद्देश्यों के सापेक्ष प्रदर्शन, राजस्व और व्यय प्रक्षेपण, भिन्नता के कारणों और इसके प्रभाव की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

---

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (मौजूदा कीमतों पर) 6.53 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से 2018-19 में ₹ 3,05,695 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 3,93,722 करोड़ हो गया। राज्य का बजट परिव्यय 11.30 प्रतिशत की सीएजीआर से 2018-19 में ₹ 86,153.82 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 1,17,617.72 करोड़ हो गया।

2022-23 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. में वृद्धि 9.71 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियाँ 15.09 प्रतिशत की दर से बढ़ीं और स.रा.घ.उ. से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2021-22 में 19.43 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 20.38 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व में 15.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 17.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। झारखण्ड राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) पिछले वर्ष से 15.34 प्रतिशत बढ़कर ₹ 73,617.80 करोड़ से ₹ 84,908.36 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में 2021-22 से 6.22 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। 2021-22 की तुलना में 95.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए राजस्व अधिशेष ₹ 6,943.94 करोड़ से बढ़कर ₹ 13,563.59 करोड़ हो गया, जबकि राजकोषीय घाटा 2021-22 में ₹ 2,604.21 करोड़ से 77.28 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹ 4,616.73 करोड़ हो गया।

### प्राप्तियाँ एवं व्यय

राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे कि राज्य का अपना कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, करों में राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान एवं हस्तांतरण और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व खाते के व्यय के साथ-साथ पूँजीगत व्यय (संपत्ति निर्माण, ऋण एवं अग्रिम, निवेश आदि) भी शामिल है।

2018-19 से 2022-23 तक राजस्व प्राप्तियाँ 9.34 प्रतिशत सीएजीआर के साथ ₹ 56,152 करोड़ से बढ़कर ₹ 80,245 करोड़ हो गईं। इस अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियाँ भी ₹ 7,850 करोड़ से बढ़कर ₹ 9,189 करोड़ हो गईं। राजस्व प्राप्तियों में भारत सरकार के सहायता अनुदान का हिस्सा 2018-19 में 16.45 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 13.58 प्रतिशत हो गया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 6,871.79 करोड़ प्राप्त हुए।

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर और पिछले दायित्वों के भुगतान को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अतः, इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। 2018-19 और 2022-23 के बीच, राजस्व व्यय ₹ 50,631 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 16.56 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 66,681 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 16.94 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (79 से 85 प्रतिशत) था, जो 7.13 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा।

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा/अधिशेष होता है। राज्य का राजस्व अधिशेष वर्ष 2018-19 में ₹ 5,521 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 1.81 प्रतिशत) से बढ़कर चालू वर्ष में ₹ 13,564 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 3.44 प्रतिशत) हो गया।

राज्य सरकार ने केवल पूँजीगत मद में ₹ 14,016 करोड़ खर्च किये। यह साल 2022-23 में कुल खर्च का 17 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में पूँजीगत व्यय में ₹ 4,639 करोड़ की वृद्धि के कारण 2022-23 में पूँजीगत व्यय से स.रा.घ.उ. अनुपात 3.56 प्रतिशत था, जबकि राज्य के कुल बजट (₹ 1,17,618 करोड़) के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय 11.92 प्रतिशत था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2018-19 में ₹ 6,629 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 2.17 प्रतिशत) से घटकर 2022-23 में ₹ 4,617 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 1.17 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा रहता है। प्रतिबद्ध व्यय संसाधनों पर पहले भारित होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन, मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल होता है। ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय 2018-19 (45 प्रतिशत) और 2022-2023 (43 प्रतिशत) के दौरान राजस्व व्यय का 43-45 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय 5.94 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ा यानि 2018-19 में ₹ 22,981 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 28,944 करोड़ हो गया {2021-22 (₹ 27,879 करोड़) से 3.82 प्रतिशत की वृद्धि}।

2018-19 से 2022-23 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के साथ अनम्य व्यय राजस्व व्यय में 12 से 15 प्रतिशत के बीच दोलित रहा। अनम्य व्यय 2021-22 में ₹ 7,910 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 8,000 करोड़ हो गया और इसमें 1.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, अनम्य व्यय ₹ 6,472 करोड़ से बढ़कर ₹ 8,000 करोड़ हो गया।

2022-23 में प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय एक साथ ₹ 36,944 करोड़ था जो राजस्व व्यय का 55 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूँजी निर्माण के लिए कम लचीलापन छोड़ती है।

#### *सब्सिडी पर व्यय*

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के भीतर, सब्सिडी की राशि 2018-19 में ₹ 2,092 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 5,653 करोड़ हो गई जो 2022-23 में घटकर ₹ 4,087 करोड़ रह गई। 2018-19 में सब्सिडी कुल राजस्व व्यय का 4.13 प्रतिशत और 2022-23 में 6.13 प्रतिशत थी। 2022-23 के दौरान फसल कृषि-कर्म पर सब्सिडी कुल सब्सिडी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (31 प्रतिशत) थी।

#### *आकस्मिक देयातायें*

2022-23 में सरकार ने ₹ 4,998.38 करोड़ की उधारी के विरुद्ध गारंटी प्रदान की। वर्ष के दौरान कोई गारंटी लागू नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2022 की अधिसूचना के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लेने की सूचना जारी की थी। राज्य की ऋण स्थिरता का आकलन करते समय ओपीएस के कार्यान्वयन के कारण आसन्न वित्तीय बोझ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

#### *राजकोषीय धारणीयता*

राजकोषीय धारणीयता की जाँच घाटे, ऋण और देनदारियों के स्तर, ऑफ-बजट उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, गारंटी, सब्सिडी आदि जैसे मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय की तुलना का सवाल है, इसमें एक महत्वपूर्ण बाधा प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज इत्यादि शामिल हैं और अन्य अनम्य व्यय जैसे कि केंद्र

प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, रक्षित निधि में स्थानांतरण, स्थानीय निकायों को स्थानांतरण इत्यादि भी शामिल हैं।

### *एफआरबीएम की आवश्यकताएँ एवं राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन*

एफआरबीएम अधिनियम/नियम कुछ सीमाएँ निर्धारित करते हैं जिनके भीतर, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ऋण एवं देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के प्रतिशत के रूप में और पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में गारंटी शामिल हैं। 2022-23 में, राज्य का राजस्व अधिशेष 3.44 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा 3.50 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 1.17 प्रतिशत और ऋण 33.15 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 30.08 प्रतिशत था।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, झारखण्ड सरकार का लोक ऋण 2018-19 से 2022-23 के बीच बकाया लोक ऋण 4.04 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा। झारखण्ड का लोक ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात 2018-19 में 19.88 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 21.57 प्रतिशत हो गया, जो उधार पर निर्भर हुए बिना ऋण दायित्वों को पूरा करने में चुनौतियों का संकेत देता है।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य में प्राथमिक घाटा था, जबकि डोमार अंतर ने इस अवधि के दौरान मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई। 2019-20 और 2020-21 के दौरान, प्राथमिक घाटे के साथ डोमार अंतर नकारात्मक था जो धीमी आर्थिक प्रगति का संकेत था। 2021-22 और 2022-23 के दौरान, प्राथमिक अधिशेष के साथ डोमार अंतर सकारात्मक था जो लोक बचत के लिए स्थिर आर्थिक स्थितियों का संकेत देता है। 2021-22 के दौरान, 2020-21 (कोविड वर्ष) के निम्न आधार के कारण वास्तविक आर्थिक प्रगति उच्चतम (10.87 प्रतिशत) थी, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सकारात्मक डोमार अंतर (9.62 प्रतिशत) था।

### **बजट प्रदर्शन**

#### *समग्र व्यय परिणाम*

बजटीय इरादे और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट प्रदर्शन की जाँच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम किस हद तक अधिशेष और बचत दोनों के संदर्भ में मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान (बीई) की तुलना में परिणाम में विचलन (-)10.82 प्रतिशत था। यह 39 अनुदानों में (±) 25 प्रतिशत तक, 16 अनुदानों में (-) 25 प्रतिशत और (-) 50 प्रतिशत के बीच; और दो अनुदानों में (-) 50 प्रतिशत और (-) 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूँजीगत अनुभाग में, बीई की तुलना में आउटपुट में विचलन 0.55 प्रतिशत था। यह 13 अनुदानों में (-) 25 प्रतिशत तक, 14 अनुदानों में (-) 25 प्रतिशत और (-) 50 प्रतिशत के बीच; और आठ अनुदानों में (-) 50 प्रतिशत और (-) 100 प्रतिशत के बीच विचलन के

कारण था। पूँजीगत अनुभाग के 20 अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

#### *व्यय संरचना परिणाम*

बजट प्रदर्शन यह भी दर्शाता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में किस हद तक योगदान दिया है। यह माप अंतिम बजट और वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता की सीमा को इंगित करता है। राजस्व अनुभाग में, संशोधित अनुमान (आरई) की तुलना में आउटपुट में विचलन (-) 22.08 प्रतिशत था। यह 38 अनुदानों में (±) 25 प्रतिशत तक, 17 अनुदानों में (±) 25 प्रतिशत और (±) 50 प्रतिशत के बीच और पांच अनुदानों में (±) 50 प्रतिशत और (±) 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूँजीगत अनुभाग में, आरई की तुलना में आउटपुट में विचलन (-) 17.68 प्रतिशत था। यह 18 अनुदानों में (±) 25 प्रतिशत तक, 10 अनुदानों में (±) 25 प्रतिशत और (±) 50 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में (±) 50 प्रतिशत और (±) 100 प्रतिशत के बीच और दो अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था।

यह देखा गया कि वर्ष 2022-23 के दौरान 43 मामलों में ₹ 6,221.83 करोड़ के पूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ से अधिक) अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया था।

*यह देखा गया कि कई मामलों में, ऐसे पूरक अनुदान थे जहां व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं हुआ था। ऐसे विचलनों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजट प्रक्रिया की आवश्यकता है।*

#### **लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता**

लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता उन वस्तुओं, लेनदेन और घटनाओं को शामिल करती है जो अनुपालन में अंतर, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन रिकॉर्ड या समायोजन रिकॉर्ड की प्राप्ति में देरी से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह खातों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है जैसे कि सरकारी खातों के बाहर धन की पार्किंग, देनदारियों का गैर या कम भुगतान और लेनदेन और डेटा अंतर का गलत वर्गीकरण।

#### *अनुदान/विनियोजन से अधिक का नियमितीकरण*

राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (बी) के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा अनुदान/विनियोजन पर अधिकता का नियमितीकरण प्राप्त करना होता है। यह देखा गया कि 2022-23 में, एक विनियोग के तहत ₹ 15.92 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था जिसे नियमित करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा,

वित्त वर्ष 2001-02 से 2021-22 से संबंधित ₹ 3,762.49 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी नियमित किया जाना है।

#### *समाशोधन*

झारखण्ड कोषागार नियमों के अनुसार, सभी विभागों को अपने व्यय और प्राप्तियों का मिलान महालेखाकार कार्यालय में खातों में दर्ज व्यय एवं प्राप्तियों के साथ करना आवश्यक है। 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने कुल व्यय का 96 प्रतिशत और कुल प्राप्तियों का 99 प्रतिशत का समाशोधन किया।

#### *आईजीएस का अनुपालन*

भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएस) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने आंशिक रूप से आईजीएस-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का अनुपालन किया।

#### *पीडी खातों का संचालन*

झारखण्ड में भूमि अधिग्रहण मुआवजा राशि जमा करने के लिए 24 पीडी खातों का संचालन किया गया। ये सभी खाते चालू हैं और वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 2,018.13 करोड़ के प्रारंभिक शेष में ₹ 850.24 करोड़ की राशि जोड़ी गई। इन पीडी खातों के कुल जमा में से, वर्ष के दौरान ₹ 499.58 करोड़ वितरित किए गए, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 2,368.79 करोड़ शेष रहा।

#### *एकल नोडल एजेंसी को धनराशि*

भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की प्रणाली शुरू की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर एसएनए के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। राज्य सरकार को अपने ट्रेजरी खातों में 2022-23 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में ₹ 6,617.25 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने ट्रेजरी खातों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से में से ₹ 6,917.88 करोड़ और राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 6,978.52 करोड़ एसएनए को हस्तांतरित कर दिए। इस संबंध में कोई और विवरण/दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया। सीजीए/एसएनए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹ 8,089.63 करोड़ अव्ययित पड़े थे।

#### *सशर्त अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र*

निर्धारित समय अवधि के भीतर सहायता अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक ₹ 1,16,153.09 करोड़ के 43,469 उ.प्र.प. लंबित थे।

### एसी विपत्र के विरुद्ध डीसी विपत्र

इसी प्रकार, संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्रों के माध्यम से निकाले गए अग्रिम धन के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डीसी) विपत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक ₹ 6,114.71 करोड़ के 18,215 एसी विपत्र के विरुद्ध डीसी विपत्र लंबित थे।

प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। गैर-अनुपालन, विचलन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सशर्त अनुदान के विरुद्ध यूसी का समय पर जमा न करना, एसी विपत्र के विरुद्ध डीसी विपत्र जमा न करना, आईजीएस-3 का अनुपालन न करना, सरकारी खातों से बाहर शेष धनराशि, और एसएनए से व्यय के विवरण की आपूर्ति न होने से खातों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

### राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की कार्यप्रणाली

31 मार्च 2023 तक, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत झारखण्ड में 32 एसपीएसई (तीन गैर-कार्यशील सरकारी कंपनियों और एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी सहित) थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 32 एसपीएसई, जिनके 107 खाते बकाया थे, द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया था। 11 कार्यरत एसपीएसई द्वारा अर्जित ₹ 53.57 करोड़ के कुल लाभ में 77.26 प्रतिशत का योगदान केवल दो एसपीएसई द्वारा किया गया था। नवीनतम प्राप्त अंतिम रूप दिए गए खातों के अनुसार, तीन कार्यरत एसपीएसई द्वारा ₹ 2,597.72 करोड़ का नुकसान हुआ।

राज्य सरकार अपने वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए एसपीएसई के प्रबंधन पर दबाव डाल सकती है। अंतिम खातों के अभाव में, ऐसे एसपीएसई में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है। राज्य सरकार घाटे में चल रहे एसपीएसई में घाटे के कारणों का भी विश्लेषण कर सकती है और उनके संचालन को कुशल और लाभदायक बनाने के लिए कदम उठा सकती है।

